कार्यालय जिला पंचायत–गरियाबंद(छत्तीसगढ़)

क्रमांक 1723 /पंचा./स्व.वि.यु.प्रो./2017 गरियाबंद, दिनांक 15/06/2017

प्रेस विज्ञप्ति

विज्ञापन

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./निर्माण/2016/439 के माध्यम से जिले में निर्मित मिनी स्टेडियम ग्राम पंचायत पोंड़ एवं इन्दागॉव के लिए "जिम उपकरण" (प्रत्येक हेतु रू. 10 लाख) उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 05.07.2017 समय 03.00 बजे तक शासकीय/शासन से संबंधित निकायों में सामग्री आपूर्ति करने वाले न्यूनतम 03 वर्षो के अनुभवी/इच्छुक फर्म/संस्थाओं से कार्यालयीन समय में निविदा दर (Rate of Contract) आमंत्रित की जाती है। EOI की शर्तें प्रपत्र दिनांक 15.06.2017 से कार्यालयीन समय तक राशि रूपये 3000/– मात्र चेक या डी.डी. (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से देय हो) भुगतान कर इच्छुक फर्म (न्यूनतम 03 वर्ष के अनुभवी) कार्यालय दिवस में जिला पंचायत गरियाबंद से निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र प्राप्त कर सकते है।

विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय के वेबसाईट www.gariaband.gov.in पर प्राप्त कर सकते है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत गरियाबंद

नियम व शर्ते

01. मिनी स्टेडियम हेतु प्रस्तावित जिम उपकरण :–

1	Chest Press machine	8	Double Air Walker
2	Rowing machine	9	Torso Rotary
3	Single Column Dubble Step Machine	10	Two leg Paddling Stretching
4	Double Elliptical Machine	11	Wheel Training
5	Twist Stepping Machine	12	Single Air Rides
6	Outdoor Treadmill	13	Pulley Down
7	Seated Cycling with Rowing	14	Double Swing Plate

02. निविदाकर दिनांक 05.07.2017 को अपरान्ह 01.00 बजे तक अपना प्रस्ताव/आवेदन कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक से मोहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्रस्ताव/आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03.30 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदा प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
03. निविदाकार को वाणिज्य कर विभाग मे पंजीकृत होने का जीवित सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
04. निविदाकार को TIN NO. एवं PAN NO प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
05. निविदाकार को विगत 03 वर्षो का इन्कम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
06. आवश्यक जानकारी प्रारूप आदि जिले के वेबसाइट www.gariaband.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।
07. आवेदन/प्रस्ताव प्रारूप कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला पंचायत गरियाबंद से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते है।

08. प्रत्येक प्रस्ताव/आवेदन के लिये रू. 3000.00 (अक्षरी तीन हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट जो "मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद" के पक्ष में देय हो, निविदा शुल्क के रूप में जमा करना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क के प्रस्ताव/आवेदन को अमान्य कर दिया जायेगा।

09. निविदा के साथ निविदा राशि का तीन प्रतिशत सुरक्षा निधि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। जिसे सफल निविदाकार को छोड़कर शेष की सुरक्षा निधि 15 दिवस में वापस लौटा दी जायेगी।

10. निविदाकार के पास उचित मानकों में जिम सामग्री आपूर्ति करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

11. निविदाकार द्वारा लिखित भौतिक प्रस्ताव तथा लिखित वित्तीय प्रस्ताव पृथक–पृथक लिफाफे मे एक बड़े सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे के उपर "मिनी स्टेडियम हेतु जिम सामग्री" स्पष्ट रूप से अंकित हो, साथ ही निविदाकार का पूर्ण पता भी अंकित किया जाये।

12. क्रय समिति द्वारा निविदाकार का सबसे पहले भौतिक प्रस्ताव खोला जायेगा। निविदा के समस्त नियम व शर्तो की पूर्ति करने पर ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जायेगा। अन्यथा विचार नहीं किया जायेगा।निविदाकार को जिम उपकरण के फोटोग्राफ्स एवं संबंधित अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों (यदि हो तो) के साथ उपस्थित होना होगा।

13. जिस निविदाकार की दर न्यूनतम पाई जायेगी उस निविदाकार की निविदा को न्यूनतम निविदाकार के रूप में स्वीकृति करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद को होगा।

14. सफल निविदाकार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री गुणवत्ता सत्यापन में कमतर पाई जाने पर जमा सुरक्षा निधि राजसात करते हुए निविदा आपूर्ति निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। साथ ही सामग्री परिवहन व्यय स्वयं निविदाकार को वहन करना होगा।

15. देयकों का भुगतान दो किश्त में (60 : 40) में किया जायेगा। प्रथम किश्त का भुगतान जिम सामग्री स्थापित करने के बाद तथा द्वितीय किश्त का भुगतान 30 दिवस के बाद किया जायेगा।

16. निविदाकार को भुगतान के समय आयकर, वाणिज्यकर एवं अन्य करों का नियमानुसार कटौती की जायेगी।

17. सफल निविदाकार कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर संपूर्ण सामग्री प्रदाय नहीं किये जाने पर रू. 500.00 प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी लगायी जायेगी।

18. कार्यादेश जारी होने के दिनांक से 45 दिवस के भीतर संपूर्ण सामग्री प्रदाय नहीं किये जाने पर निविदाकार को जारी कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा एवं द्वितीय न्यूनतम दर वाली संस्था/फर्म को सामग्री आपूर्ति किये जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

19 किसी भी विवाद के स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदाकार के लिये मान्य व बंधनकारी होगा। चूंकि निविदा गरियाबंद में होगा अतः किसी भी न्यायालयीन विवाद हेतु कार्यक्षेत्र गरियाबंद के भीतर होगा।

20. सामग्रियों की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई–बढ़ाई जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत गरियाबंद